

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

॥द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना॥

बी.ओ.टी. आधार पर ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना, रख-रखाव एवं उसके एज में 10 वर्षों तक विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं उसमें विज्ञापन प्रदर्शित करने का अधिकार।

क्रमांक - 5255/भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2023

रायपुर दिनांक 10/12/2023

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर अन्तर्गत बी.ओ.टी. आधार पर ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना, रख-रखाव एवं उसके एज में 10 वर्षों तक विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने की सील बंद लिफाफे में दिनांक 10/12/23 को अपराह्न 5.00 बजे तक द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष दिनांक 11/12/23 को अपराह्न 5.00 बजे को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रुपये, वापसी योग्य नहीं		
निविदा अवधि	10 वर्ष		
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन		
क्र.	ट्रेफिक सिग्नल लगने वाले स्थल का नाम	ट्रेफिक सिग्नल में विज्ञापन (वर्गफीट)	अमानत राशि
1.	पंडरी एवं शंकर नगर एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे	450 वर्गफीट प्रत्येक चौक में	1.00 लाख

टीप-निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्त एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।



नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत बी.ओ.टी. आधार पर ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना, 10 वर्षों तक रख-रखाव एवं उसके एवज में विज्ञापन प्रदर्शित करने बाबत।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर द्वारा जारी निविदा क.....जारी दिनांक

---000---

क.	ट्रेफिक सिग्नल लगने वाले स्थल का नाम	ट्रेफिक सिग्नल में विज्ञापन (वर्गफीट)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रु. में)
1.	पंडरी एवं शंकर नगर एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे	450 वर्गफीट प्रत्येक चौक में	

निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर है। जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :-

अमानति राशि रु. 1.00 लाख
के एफ.डी.आर./DD का विवरण :-

बी.ओ.टी. आधार पर ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना, 10 वर्षों तक रख-रखाव एवं उसके एवज में विज्ञापन लगाने हेतु आमंत्रित द्वितीय निविदा की शर्तें

1. चर्चा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के लिए निविदा शुल्क के रूप में राशि रु. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम से संलग्न करना होगा।
3. निविदा द्वि लिफाफा पद्धति के माध्यम से होगा जिसमें लिफाफा (अ) में तकनीकी दस्तावेज होंगे। लिफाफा (अ) में आवश्यक दस्तावेज (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। लिफाफा ब में वित्तीय प्रस्ताव रखना होगा। वित्तीय दरे शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा। कांट-छांट अथवा ओवर राईटिंग की दशा में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।
5. निविदा हेतु दोनों स्थल हेतु एक ही निविदा दर भरना होगा। दोनों स्थलों के लिए जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा। दोनों स्थल हेतु एक ही सफल निविदाकार होगा।
6. निविदा हेतु अमानती राशि रु.1.00 लाख का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
7. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी को निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संचारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।
8. निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
9. निविदा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का होगा।
10. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी। निविदा अनुबंध करा लेने के बाद ही विज्ञापन कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से दो माह की अवधि बोर्ड लगाने हेतु दी जायेगी, तत्पश्चात् अर्थात् कार्यादेश जारी दिनांक से दो माह पश्चात् किराया लागू माना जावेगा। किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित प्रदर्शन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
11. ट्रेफिक सिग्नल लगाकर रखरखाव करने के एवज में विज्ञापन बोर्ड लगाने हेतु अनुबंध 10 वर्ष को अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 05 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 01 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद तीन माह तक राशि जमा न कराये जाने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी तथा अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी।
12. दोनों स्थल हेतु निविदाएं 10 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई हैं। परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर अनुबंध के पूर्व दर स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराये राशि का 30% राशि तथा शेष राशि कार्यादेश दिनांक से 2 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 02 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा।
13. विज्ञापन बोर्ड एवं ट्रेफिक सिग्नल लगाने हेतु इकरारनामा 10 वर्ष तक के लिए होगी तथा अवधि पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी अवधि समाप्त होने पर विज्ञापन बोर्ड एवं ट्रेफिक सिग्नल दोनों नगर निगम की संपत्ति होगी।

14. अनुबंध पश्चात ट्रेफिक सिग्नल लगाने हेतु चयनित स्थल का प्रभारी अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जायेगा एवं स्वीकृति उपरान्त ही ट्रेफिक सिग्नल लगाया जा सकेगा।
15. निविदाकार को यातायात ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना का कार्य निर्धारित समयावधि दो माह के भीतर सम्पन्न कराना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं होने पर अनुबंध निरस्त कर कार्य अन्य फर्म से कार्य कराने का अधिकार आयुक्त नगर निगम रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
16. सिग्नल लगाए जाने के लिए निविदाकार को सड़क खोदने की अनुमति नहीं होगी। यदि सड़क खोदना आवश्यक होगा तो उन्हें नियमानुसार नगर निगम से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा इस हेतु लगने वाले समस्त शुल्को का भुगतान नगर निगम रायपुर को निविदाकार द्वारा देय होगा।
17. निविदाकार को सिग्नल लगाने के पूर्व स्थल के अनुसार ड्राइंग/डिजाईन का अनुमोदन नगर निगम रायपुर से कराया जाना होगा। निविदाकार को ट्रेफिक सिग्नल आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाईन के अनुसार ही लगाया जाना होगा। ट्रेफिक सिग्नल का तकनीकी स्पेशिफिकेशन अनेक्शचर 01 के अनुसार होना चाहिए।
18. निविदाकार के द्वारा सभी विज्ञापन बोर्ड/पटल सुरक्षित मापदण्ड के अनुरूप ही लगाया जाना होगा। निविदाकार के द्वारा उक्त संबंधी यातायात पुलिस एवं अन्य विभागों के निर्धारित सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया जाएगा।
19. निविदाकार के द्वारा केन्टीलीवर ट्रेफिक पोल पर विज्ञापन बोर्ड सड़क से लगभग 7 मीटर से अधिक की उँचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि यातायात में किसी प्रकार से व्यवधान न हो।
20. छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के अनुसार संकेत तथा बाहरी प्रदर्शन संरचना का पूर्णतः पालन निविदाकार के द्वारा किया जाएगा।
21. निविदाकार के द्वारा लगाए जाने वाले सिग्नल अत्याधुनिक पद्धति पर आधारित होने चाहिए। व्ही.आई.पी. मूवमेंट की स्थिति में रिमोट/लोकल ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
22. यदि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण अथवा अन्य विकास कार्य सुरक्षा, सौंदर्यीकरण योजना इत्यादि के कारण ट्रेफिक सिग्नल/सिस्टम को हटाया जाना आवश्यक हो तो निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाना होगा। कार्य की मात्रा को कम अथवा अधिक करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।
23. ट्रेफिक सिग्नल की स्थापना उपरान्त उक्त ट्रेफिक सिग्नल के संधारण एवं रखरखाव का कार्य निरंतर 10 वर्षों तक निविदाकार के द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना होगा।
24. ट्रेफिक सिग्नल का सुचारु रूप से रखरखाव निविदाकार को नियमित रूप से किया जाना होगा। ट्रेफिक सिग्नल बंद होने की स्थिति में 24 घंटे के अंदर यथाशीघ्र संधारण कार्य उपरान्त ट्रेफिक सिग्नल को चालू कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि 24 घंटे से अधिक समय तक सिग्नल बंद रहेगा, तो प्रति घंटे राशि रु. 1000.00 की दर से पेनाल्टी लगाया जाएगा, जिसे निविदाकार को 3 कार्य दिवस के भीतर जमा करना होना अन्यथा अनुबंध निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
25. प्रति चौक विज्ञापन हेतु 450 वर्गफीट जगह दिया जायेगा जिसमें विज्ञापन बोर्ड की डिजाईन एजेन्सी को स्वयं के द्वारा करना होगा एवं उसे सिग्नल में ही उचित स्थान पर लगाया जाना होगा। प्रति सिग्नल विज्ञापन फलक की अधिकतम साईज 8'X4' होना चाहिए। सिग्नल के अतिरिक्त विज्ञापन को कहीं अन्यत्र स्थल में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
26. विज्ञापन बोर्ड/पटल के विद्युत खपत एवं संधारण इत्यादि पर होने वाला व्यय निविदाकार के द्वारा स्वयं वहन किया जाना होगा।
27. विज्ञापन बोर्ड हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत कनेक्शन लेने की स्थिति में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वतः के व्यय पर विद्युत मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करते हुए पृथक से मीटर लगवाना होगा जिसका मासिक बिल विज्ञापन एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा। ऐसे विद्युतिकृत विज्ञापन बोर्ड पूर्णतः सुरक्षित ढंग से विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये जायेगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना आदि होने पर समस्त जवाबदारी संबंधित विज्ञापन एजेन्सी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रीशियन/हेल्पर एवं कुशल तथा अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना होगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र भी देना होगा।
28. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी विज्ञापन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी।

29. यह कि निविदाकर्ता को शासन/नगर पालिक निगम, रायपुर की विधि, उपविधियां और निर्णय तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
30. यह कि शासन एवं नगर निगम रायपुर द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित किया गया अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से विकृत/अश्लील/आपत्ति जनक लेख से संबंधित एवं अन्य किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक विज्ञापन, विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा अन्यथा तत्काल बगैर सूचना के आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटा दिये जायेंगे तथा इसमें होनी वाली दण्ड, हानि, हटाने का व्यय एवं सभी प्रकार की क्षतिपूर्ती विज्ञापन एजेन्सी से वसूल किया जायेगा।
31. यातायात संबंधित नियमों एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा विज्ञापन कार्य हेतु यातायात विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
32. विज्ञापन बोर्ड व उसकी संपूर्ण संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामग्री से किसी व्यक्ति, संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आयागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा, अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे किसी प्रकार के चमकीला परावर्तन नहीं होना चाहिए।
33. विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित विज्ञापन सामग्री किसी भी प्रकार से अशोभनीय, अश्लील, अशिष्ट सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, अमद्र, अमंगलकारी तथा भ्रामक नहीं होनी चाहिए।
34. विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक स्क्रीन वाली, चलायमान तत्व (Moving Articles) तथा शोर (Noise) उत्पन्न करने वाली सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
35. लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के ऊपर या नीचे किसी राजनीतिक पार्टी/संगठन/संस्था या किसी व्यक्ति के फ्लैक्स लगाये जाने पर इस कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
36. विज्ञापन बोर्ड से किसी व्यक्ति/संस्था अथवा आम नागरिकों को किसी प्रकार के पर्यावरण के प्रतिकूल, शारिरिक अथवा मानसिक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
37. विज्ञापन बोर्ड में किसी भी सवैधानिक संस्थाओं, केन्द्र सरकार, राज्य शासन, उसके अधीन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य, शब्द, इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
38. फर्म द्वारा विज्ञापन बोर्ड में केन्द्र सरकार व राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित किसी भी संगठन के प्रचार-प्रसार अथवा उनके द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रयोजन-आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना, विज्ञापन या प्रचारात्मक सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
39. विज्ञापन बोर्ड में किसी भी प्रकार के नशे की सामग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
40. विज्ञापन बोर्ड में विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के लिए उपयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्रियों यथा फ्लैक्स, कपड़ा या अन्य कोई प्रयुक्त सामग्री पूर्ण गुणवत्ता की एवं पर्यावरण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी सभी सामग्रियां होर्डिंग्स की संरचना में व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।
41. विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री के संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के मौखिक अथवा लिखित निर्देश पर उसे 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से हटाना होगा।
42. ऐसे आपत्तिजनक विज्ञापन अथवा प्रदर्शित सामग्री 24 घण्टे के अन्दर नहीं हटाए जाने पर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को यह अधिकार होगा कि वह उसे हटा दे तथा इस पर होने वाला व्यय फर्म से विधि अनुरूप उसकी वसूली करें, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के दौरान किसी भी क्षति या नुकसान के लिए नगर पालिक निगम, रायपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
43. विज्ञापन बोर्ड में प्रदर्शित सामग्री यदि किसी प्रकार से होर्डिंग्स से अलग होती है अथवा हवा में लहराने लगे या खतरनाक स्थिति में हो तो इसे तत्काल ठीक करना होगा, फर्म का यह दायित्व होगा कि वह होर्डिंग्स का नियमित रूप से निरीक्षण करें ताकि किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकें।
44. विज्ञापन एजेन्सी द्वारा लगाये गये विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी। इसमें होनी वाली जन-धन की हानि हेतु क्षतिपूर्ती संबंधित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा वहन की जावेगी तथाया एजेन्सी द्वारा यदि इंश्योरेंस कराया जाता है तो यह जवाबदारी संबंधित इंश्योरेंस कंपनी की होगी। विज्ञापन एजेन्सी को इस आशय का वचनबंध पत्र नगर निगम को निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।

45. नगर पालिक निगम, रायपुर किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी।
46. एजेन्सी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
47. एजेंसी द्वारा नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विज्ञापन बोर्ड व सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी तथा बकाया राशि भू-राजस्व की तरह वसूल की जायेगी।
48. निगम हित/जनहित में निगम आयुक्त द्वारा लिये गये निर्णय बंधनकारी एवं अंतिम होंगे।
49. किसी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में एक सप्ताह के भीतर संबंधित एजेंसी आयुक्त नगर निगम रायपुर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा एवं आयुक्त नगर निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
50. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा।
51. यदि किसी कारणवश निविदाकार द्वारा सुचारु रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया जाता है, तो विज्ञापन संबंधी दी गई विज्ञापन अधिकार (एन.ओ.सी.)को समाप्त करते हुए आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
52. निविदाकार के द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में निरस्त करने का अधिकार नगर निगम, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
53. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय व नगरीय निकाय आदि में काली सूची में दर्ज न हो।
54. किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) के अधीन होगा।
55. किसी भी अन्य विभाग द्वारा लगाया जाने वाला समस्त कर निविदाकार विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा देय होगा।
56. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।
57. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम रायपुर के विद्युत विभाग से प्राप्त की जा सकेगी।



नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

ANNEXURE 01

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. CONTROL PANEL:

SITC of microcontroller based automatic traffic signal controller with real time clock with following features.

(A) PROGRAMMABILITY:

System should have feasibility to accommodate traffic plans as per site requirement and police authority. Tenderer should have capability to alter/upgrade software as per field requirement

(B) REMOTE OPERATED:

System should have facility to alter lane clearance etc. by remote to be operated by policeman to facilitate faster clearance VIP movement etc.

(C) DISPLAY:

System should following displays

- (i) LED display to indicate on off status of various aspects in the junction.
- (ii) Residual time display-to-display residual time of each lane.

(D) POWER REDUNDANCY:

System should have facility to automatically switch over to next available phase once main phase is off.

(E) PANEL ENCLOSURE:

Panel shall be powder coated with 1.6 mm thick sheet and conform to IP55

(F) INSTANT REFRESH:- System should be (capable of instantly refreshing count down time once altered by remote/vehicle mechanism and same shall be corrected instantly accordingly in poles and panel.

(G) PROTECTION:- Over current protection with Auto start up on power restoration stabilized voltage supply for Electronic Circuit.

(H) OUTPUT SWITCHING:- Through solid-state device.

(I) MASTER SLAVE CONFIGURATION:- Whole system shall be designed around master slave configuration. Master will command and get feedback from slave panel. In the event of fault condition system should switch to blinker mode and should be capable of self diagnosis of fault and reporting of the same to control server via GSM modem.

2. SITC of following color LED matrices-having .5mm dia LEDs of ultra bright super glow having approximately 10 yrs life and power consumption below 15 watts. Such LED matrices shall be enclosed in metal/FRP aspects with provision of appropriate clamps etc for mounting on poles.

(A) Vehicular Red/Amber Round (unit of 170-190 Nos LEDs)

(B) Vehicular Green Arrow (unit of 70-100 Nos LEDs)

3. Standard pole

P&F 4.5 mm thick M.S. traffic post with outer dia 114.3 mm medium class and conforming to IS 1239 5 mtr long (0.8 mtr below ground level) suitable for mounting the signal aspect. Pole will have base plate of size 200 mm *200 mm *6mm including excavation of pit and grouting with R.C.C. of ratio 1:3:6 from bottom of the pole and upto 30 cm above the ground level. Pole shall be painted with rubber paint below ground level and red oxide of exposed surface and finishing with traffic yellow enamel paint in coats complete as required.

4. Cantilever pole

P & F M.S. cantilever pole suitable for mounting signal aspects having overall height. Of 9.0 mtr (1.5 mtr below ground level) with M.S. base plate of size 200mm*200mm*5mm including excavation of pit and grouting with R.C.C. of ratio 1:3:6 from the bottom of the pole and up to 50cm above the ground. Pole shall be painted with rubber paint below ground level and red oxide on exposed surface and finishing with traffic yellow enamel paint in two coats complete as required Pole shall confirm following specification: Top, middle, bottom outer dia 4,5,6 inches respectively and shall confirm to B class ISI specification.

5. Residual Time Display :

- (a) In Signal mode residual time display of Red Green etc. of each lane will start from first cycle of operation in signal mode.
- (b) Residual time display mechanism shall be capable of displaying residual time in all plans in signal mode. It should not be limited to all clear green indication (left, right and straight) option only.
- (c) Work included S.I.T.C. of programmable three digit digital count down timer display having 5mm dia Red colored LEDs of high intensity (clear visibility at day time) with digit size 150mm*200mm approx.

6. Blinder unit

P & F Solid state blinker caution unit weather proof box and pole clips with flashing rate 40-60 flashes per minute.